

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू—अर्जन निदेशालय)

### अधिघोषणा

सं0..... डी० एल० ए० समस्तीपुर — १४३९ | रा०, दिनांक ३०—०५—१३

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम—फुलहारा उर्फ गोडिआरी, परगना—हमिन्दपुर, थाना—रोसडा, थाना नं0—९१/२, जिला—समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् हायाघाट कराचीन के ४२वें कि० मी० से ७५वें कि० मी० तक समस्तीपुर जिला अन्तर्गत बाँध ऊँचीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का ग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा घोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम फुलहारा उर्फ गोडिआरी के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वो वेश २.३९ एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं0 अंश १८, १८/२०२, २८, २९, ८०, ८१, ८१/२०१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९६, ९७, ९८, ९९, १२६, १४१, १४२, १५३, १५४, १५५, १५८, १८७, १८८, १९४ एवं पूर्ण खेसरा सं0 ९६/२००, १५६, १५७ है।

तथा जिसकी चौहड़ी निम्न प्रकार है—

उत्तर :— अंश खेसरा सं0 १८, १८/२०२, २८, २९, ८०, ८१, ८१/२०१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९६, ९७, ९८, ९९, १२६, १४१, १४२, १५३, १५४, १५५, १५८, १८७, १८८ एवं १९४ है।

पूरब :— सीमा रेखा ग्राम औरा।

दक्षिण :— अंश खेसरा सं0 ९६, ९७, ९८, ९९, १२६, १४१, १४२, १५३, १५४, १५५, १५८, १८७, १८८ एवं १८९ है।


पश्चिम :— सीमा रेखा ग्राम देवधा।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा स्लेट या अन्य खणिजों के खानों और खणिजों के नाम व काम जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है इसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ये किये जाएंगे।

यह अधिघोषणा अधिनियम १, १८८४ की धारा ६ के उपबन्धों के अधीन (तथा बिहार अधिनियम ११, १९६१ द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल की राय से



२०१  
सरकार के अवर सचिव

- १५३९/रा०

ज्ञापांक ..... / डी० एल० ए० समस्तीपुर पटना दिनांक ३० - ०५ - १३

प्रतिलिपि:- (1) निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को घोषणा के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरने जिला भू-अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें।

(2) समाहर्ता, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को घोषणा के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अलगे असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी ५ प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा ५ प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।

(4) आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

(5) जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर/रोसड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु:- यथोक्त।

७०/२३६/३

सरकार के अवर सचिव